सं. 22011/1/2021-स्था.(घ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 27.08.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: आदर्श कैलेंडर के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के आयोजन में समय से तथा अग्रिम कार्यवाही के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरीको यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन पैनल समयबद्ध तरीके से अग्रिम रूप से तैयार रखने के उद्देश्य से यह विभाग डीपीसी की बैठकें आयोजित करने के लिए समय सारिणी के पालन पर जोर देता रहा है। संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों को तदनुसार दिनांक 08.05.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/4/2013-स्था.(घ) में जारी डीपीसी के लिए आदर्श (मॉडल) कैलेंडर का पालन करना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैनल समय पर तैयार हो और जब और जैसे रिक्ति वर्ष के दौरान रिक्तियां उत्पन्न होती है, इसका उपयोग किया जा सके।

2. मंत्रिमण्डल सचिवालय ने विभाग से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति की टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित किया है कि डीपीसी के गठन में असामान्य देरी होती है, और डीपीसी के आयोजन में इस देरी के परिणामस्वरूप योग्य उम्मीदवारों को समय पर पदोन्नति से वंचित होना पड़ता है। यह भी ध्यान में लाया गया है कि मंत्रालय/विभाग समय पर यूपीएससी को डीपीसी के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहे थे, जिसके कारण डीपीसी की बैठके समय से आयोजित होने में देरी हो रही थी।

3. डीपीसी प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए, आदर्श कैलेंडर में निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करके ही अधिकारियों की समय से पदोन्नति के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है।

4. तदनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों से एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर डीपीसी के समय पर आयोजन/अनुमोदित चयन पैनल तैयार करने के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(ए. भट्टाचार्य)

उप सचिव

टेलीफोन नं. 23094072

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
7. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
8. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
9. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालय।
11. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी संबद्ध अधिकारी और अनुभाग।
12. स्थापना (घ) अनुभाग, डीओपीटी (10 प्रतियां)
13. एनआईसी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(आर. के. सिन्हा)
अवर सचिव
टेलीफोन नं. 23040340